छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 479/2006</u>

श्री दीनदयाल सोनी, प्रधान जिला उपभोक्ता कल्याण संघ, भिवाणी (हरियाणा)	....	आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, सेठ किरोड़ीमल चेरिटी ट्रस्ट, रायगढ़ जिला–रायगढ़ (छत्तीसगढ़)	....	अनावेदक

:: आदेश ::
(01 सितम्बर 2006)

आवेदक श्री दीनदयाल सोनी निवासी–घलुवास गेट चौक, भिवाणी (हरियाणा) के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 अंतर्गत अपील के रूप में छत्तीसगढ़ सूचना आयोग को आवेदन पत्र दिया गया कि सेठ किरोड़ीमल चेरिटी ट्रस्ट द्वारा स्थापित एवं संचालित अनेक धार्मिक एवं शिक्षण संस्थान भिवाणी (हरियाणा) में कार्यरत हैं, उनको हरियाणा सरकार एवं नगर परिषद् भिवाणी के द्वारा अनेक प्रकार के अनुदान एवं छूट प्रदान की गई है। इस संस्था के संबंध में आवेदक के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, सेठ किरोड़ीमल चेरिटी ट्रस्ट मुख्यालय रायगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत यह जानकारी चाही गई थी कि भिवाणी में सेठ किरोड़ीमल चेरिटी ट्रस्ट द्वारा स्थापित एवं संचालित संस्थाओं की कितनी जमीन/जायदाद हैं। सन् 1998 से मार्च 2006 तक उपरोक्त संस्थाओं एवं संपत्तियों से कितनी–कितनी आय हुई तथा कितना खर्च हुआ। इनका आय–व्यय अलग–अलग बतलाया जावे। आवेदक ने यह भी उल्लेख किया कि उसके द्वारा आवेदन पत्र देने के पश्चात् सेठ किरोड़ीमल चेरिटी ट्रस्ट, रायगढ़ के द्वारा आवेदक को सूचना दी गई कि आवेदक विधि अनुसार जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकारी नहीं है। आवेदक के द्वारा भेजा गया 10/– रूपए का बैंकड्राफ्ट भी वापस किया गया। ट्रस्ट के इस जवाब से असंतुष्ट होकर आवेदक ने सूचना आयोग को अपील प्रस्तुत की। चूंकि आवेदक का आवेदन पत्र अपील के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था तथा आवेदक ने अपील की औपचारिताएँ पूर्ण नहीं की थी। अतः आवेदक का आवेदन पत्र शिकायत के रूप में दर्ज कर अनावेदक सेठ किरोड़ीमल चेरिटी ट्रस्ट, रायगढ़ को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 23–8–2006 को आवेदक को भी आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होने की सूचना दी गई। आवेदक के द्वारा पत्र दिनांक 29–7–2006 द्वारा सूचित किया गया कि आवेदक भिवाणी (हरियाणा) से आने–जाने में आर्थिक एवं शारीरिक कठिनाई है अतः उसे उपस्थिति से छूट दी जावे। अनावेदक ट्रस्ट की ओर से अभिभाषक श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता उपस्थित हुए।

आयोग के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में विचार किया गया एवं अनावेदक के विद्वान अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया। अनावेदक की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि सेठ किरोड़ीमल चेरिटेबिल ट्रस्ट की संस्थाएँ पूरे देश में अनेक स्थानों पर संचालित हैं। भिवाणी (हरियाणा) में भी संस्थाएँ संचालित हैं। उन संस्थाओं की जानकारी रायगढ़ स्थित ट्रस्ट से दी जाना संभव नहीं है। क्योंकि जैसाकि स्वयं आवेदक ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि इन संस्थाओं को हरियाणाा सरकार एवं नगर परिषद् भिवाणी के द्वारा अनुदान एवं छूट प्रदान की गई है। देश में अनेक संस्थाएँ इस ट्रस्ट के द्वारा संचालित हैं। इन संस्थाओं को संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा यदि कोई अनुदान या छूट दी जाती है तो वह संबंधित संस्था के ही पास अभिलेख होता है तथा उसका उपयोग भी वहीं किया जाता है। अतः रायगढ़ से अन्य राज्यों में स्थित संस्थाओं की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। आवेदक ने संस्थाओं में वित्तीय अनियमितताएँ आदि होने का आरोप लगाया है, उससे सेठ किरोड़ीमल चेरिटी ट्रस्ट, रायगढ़ के द्वारा असंबद्ध होने से अस्वीकार किया गया। आयोग के द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों पर विचार किया गया। आयोग अनावेदक के इस तर्क से सहमत है कि प्रत्येक संस्था की अलग–अलग स्वायत्तता है तथा उस संस्था की जानकारी सेठ किरोड़ीमल चेरिटी ट्रस्ट, रायगढ़ के द्वारा दिया जाना संभव नहीं है। अतः आयोग के द्वारा विचारोपरांत आवेदक का आवेदन पत्र अस्वीकार करते हुए नस्तीबद्ध किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त